अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

RMA No - 15 / 2013-14

पूर्णा मोहली एवं अन्य

बनाम

सनत सोरेन एवं अन्य

10/06/2023

-: आदेश :-

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजात एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया।

वर्त्तमान अपील अपीलकर्त्ता द्वारा विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के म्युटेशन अपील केश नं0–13 / 2004–05 सनत सोरेन बनाम् पूर्णा मोहली से संबंधित मामला में दिनांक–28.05.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा के न्यायालय में दायर किया गया जो दिनांक–30.01.2013 को हस्तांतरण के पश्चात् अधोहंस्ताक्षरी के न्यायालय में निष्पादनार्थ प्राप्त है। विषयगत वाद में पक्षकारों को नोटिश निर्गत किया गया।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता अपना पक्ष रखते हुए उल्लेख करते है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने गलत आदेश पारित किये है जो न्यायसंगत नही है। उनका आगे कथन है कि श्रीमान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा द्वारा किया गया अपेक्षित आदेश कानूनी प्रक्रियाओं का दुरूप्योग है और उत्परिवर्तन के स्थापित कानून के सिद्धांत के विरूद्ध है। उक्त आदेश आकस्मिक तरीके से पारित किया गया है। पारित आदेश स्वयं गलत कल्पना, गलत प्रचारित और गलत उन्मुख है। आगे उल्लेख करते है कि जमाबंदी नं0–35, मौजा–बारा डुमरहीर फौदा मोहली के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता के पिता लखीराम मोहली खतियानी रैयत के भगीना थे। लखीराम मोहली को वर्ष 1946 मे पोषपुत्र लिया था। इस प्रकार विषयगत भूमि पर लखीराम मोहली दखलकार हुए एवं उनके मरणोपरान्त अपीलकर्त्ता उत्तराधिकारी हुए। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा पूर्ण जांचोरांत विषयगत भूमि अपीलकर्त्ता के नाम से नामान्तरित की गई है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करते है।

वहीं उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के नामान्तरण वाद सं0–02 / 00–01 में पारित आदेश का कोई साक्ष्य ही नही है। उत्तरवादी का कथन है कि खाता नं0–35, दाग नं0–371, रकवा 00-12-02 एवं 372 रकवा 00-07-05 धूर जमीन पर्चा में फौदा मोहली के नाम से दर्ज है जो नावल्द थे। इस कारण उनकी सम्मत्ति की देख–रेख के लिए कोई नही था। फौदा मोहली का अपना सगा संबंधी कोई नही रहने के कारण नेपाल में वासोवास के लिए जाने लगे तो आवश्कतानुसार नेपाल जाने के लिए रूपये लिये। उक्त एहसान के एवज में विषयगत भूमि कारू सोरेन को जोत आवाद के लिए दे दिये। चूँकि फौदा मोहली एवं कारू सोरेन बचपन से ही काफी घनिष्टता थी। कालान्तर मे उक्त भूमि को बेहतर कृषि योग्य बनाने हेतु खेतो की मिट्टी कटाने एवं खेती लायक बनाने में कारू सोरेन ने उस दौरान 325 रू0 खर्च किये। फौदा मोहली वर्ष 1942 मे नेपाल से वापस गॉव आये एवं विषयगत भूमि वापस मांगी तो कारू सोरेन ने खर्च किये गये तथाकथित 325 रू0 एवं वह राशि वापस मांगी जो उन्होंने नेपाल जाते समय सहायता स्वरूप दी थी। ग्रामीण पंच की बैठक हुई जिसमे फैसला किया गया कि तथाकथित राशि की लौटाने के उपरांत ही विषयगत भूमि की वापसी हो। फौदा मोहली ने ना तो उपर वर्णित राशि वापस की एवं ना ही भूमि वापस ली। फौदा मोहली पुनः भारत छोड़कर नेपाल वापस चला गया जहाँ कालान्तर में फौदा मोहली

अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

RMA No - 15 / 2013-14

की नावल्द मृत्यु हो गयी। उनका कोई उत्तराधिकारी नही था इस तरह सन् 1934 ई0 से ही विषयगत भूमि कारू सोरेन के दखल में रही तथा उनकी मृत्यु के उपरांत उत्तवादी उत्तराधिकारी हुए। आगे उल्लेख करते है कि अपीलकर्त्ता ने श्री बी0एम0 झा, कार्यपालक दंडाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय टी0आर0 केस नं0–26/04 दायर किया जो दिनांक–05.08.2004 को खारिज हो गया। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता आगे उल्लेख करते है। विषयगत वाद प्रानी मौजा है, जबकि अपीलकर्त्ता राजस्व कर्मचारी से मालगुजारी रसीद प्राप्त करते है। उक्त नामांतरण वाद की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का निदेश अपीलकर्त्ता को दिया गया बावजूद आदेश की प्रति भी न्यायालय में उपलब्ध नही कराया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ के बहस सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के अवलोकनोपरान्त स्पष्ट होता है कि प्रशनगत केस का मूल विवाद अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के मुटेशन केस नं0–02/00–01 का कोई साक्ष्य, तिथि, आदेश की प्रति उपलब्ध नही है न ही उभय पक्षो के द्वारा उक्त नामान्तरण आदेश की सत्यापित कॉपी ही न्यायालय में उपलब्ध कराया गया है जो एक परिकल्पना पर आधरित एवं तथ्यहीन विवाद प्रतीत होता है। क्योंकि जैसा कि निम्न न्यायालय के आदेश में वर्णित है कि वर्ष–2005 से 2010 तक अनेको स्मार अंचल अधिककारी, बोआरीजोर को दिये जाने के बावजूद विषयगत नामांतरण का अभिलेख पांच वर्षो के अन्तराल में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में प्राप्त नही कराया गया। अपीलकर्त्ता स्वयं भी यह स्पष्ट करने की स्थिति में नही है कि नामान्तरण आदेश की तिथि क्या थी? निम्न न्यायालय मे अपीलकर्त्ता को दिये गये निदेश के बावजूद नामांतरण आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि दाखिल करने में असमर्थ रहे और न ही वर्तमान वाद में उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। प्रश्नगत केस में पोषयपुत्रनामा या ग्राम सभा से संबंधित कोई कागजात उपलब्ध नही कराया गया। स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के नामान्तरण के समय फौती एवं फिरायी के बिन्दु पर जॉंच–पड़ताल ठीक से नही की गयी। प्रधानी मौजा होने के बावजूद माजगुजारी रसीद कर्मचारी द्वारा निर्गत किया जाना संदेह उत्पन्न करता है। अपीलकर्त्ता का यह कथन कि निम्न न्यायालय का आदेश गलत है जिसे खारिज किया जाय लेकिन अपीलकर्त्ता की तरफ से अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस कागजात न्यायालय में दाखिल नही किया गया है। वर्त्तमान अपीलवाद में अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय से भिन्न कोई अन्य तथ्य नही लाया गया है ऐसी स्थिति में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार योग्य नही है। निम्न न्यायालय में पारित आदेश न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा का म्युटेशन अपील केस नं0–13/2005–06 में दिनांक–28.05.2011 को पारित आदेश कायम रखते हुए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.08.10 13:07:40 +05:30
Location: 192.168.1.4

लिखाया एवं संशुद्ध किया।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।